लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2852

जिसका उत्तर बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023 को दिया जाएगा

मध्य प्रदेश में हॉलमार्क केंद्र

2852. श्रीमती संध्या राय:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश में हॉलमार्क केंद्रों की जिले-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकार द्वारा इन केंद्रों को अपने अधीन लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन केंद्रों की सहायता करने के लिए की गई पहल का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) दिनांक 14/12/2023 तक, मध्य प्रदेश में 44 एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्र (एएचसी) को भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा मान्यता दी गई है। मध्य प्रदेश में एएचसी की जिलेवार संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

(ख) स्वर्ण और चांदी के आभूषणों और शिल्पकृतियों का परीक्षण और चिन्हांकन बीआईएस द्वारा एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्र (एएचसी) के रूप में मान्यता प्राप्त परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा किया जाता है। आईएस 15820 'एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्रों की स्थापना और संचालन के लिए सामान्य अपेक्षाएं' के अनुसार किसी प्रयोगशाला की अवसंरचना और कर्मियों की क्षमता का सत्यापन करके इसे मान्यता दी जाती है।

(ग) इन केंद्रों को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

(i) सरकार द्वारा एक केंद्रीय सहायता स्कीम संचालित की जा रही है जिसके अंतर्गत एएचसी की कमी वाले जिलों में एएचसी स्थापित करने के लिए मशीनरी और उपकरणों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत उपकरणों की लागत के लिए नीचे दी गई तालिका के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है:

क्षेत्र	**निर्धारित दर**	
	निजी	**पीएसयू**
सामान्य	30%	50%
पूर्वोत्तर/विशेष श्रेणी के राज्य/ग्रामीण क्षेत्र	50%	75%

मध्य प्रदेश में दिनांक 14/12/2023 तक चार केंद्रों को इस स्कीम के तहत सहायता दी गई है।

(ii) एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने की लाभप्रदता और व्यवहार्यता में सुधार के लिए प्रति वस्तु हॉलमार्किंग शुल्क को संशोधित करके स्वर्ण के लिए 35 रुपये से 45 रुपये और चांदी की वस्तुओं के लिए 25 रुपये से 35 रुपये किया गया है।

(iii) ऑफ-साइट सेंटर (ओएससी) स्थापित करने के लिए 1 जनवरी 2022 को एक नई स्कीम शुरू की गई थी जिसके अंतर्गत एएचसी को मूल एएचसी के 100 किलोमीटर के भीतर 5 नए ओएससी स्थापित करने का अवसर प्रदान किया जाता है। इन ओएससी में फायर एसेइंग गतिविधि नहीं की जाती है। इसके बजाय, फायर एसेइंग गतिविधि के लिए नमूने, मूल एएचसी को भेजे जाते हैं। इस प्रकार, इससे एएचसी को नए एएचसी की तुलना में एक नया ओएससी स्थापित करने में उपकरण, स्थान और साथ ही कर्मियों की बचत होती है।

****

अनुलग्नक

'मध्य प्रदेश में हॉलमार्क केंद्र' के संबंध में श्रीमती संध्या राय द्वारा पूछे गये दिनांक 20.12.2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2852 के उत्तर भाग (क) में उल्लिखित अनुलग्नक

मध्य प्रदेश में एएचसी की जिलेवार संख्या		
क्र.सं.	जिला	एएचसी की संख्या
1.	अगर	0
2.	अलीराजपुर	0
3.	अनूपपुर	0
4.	अशोक नगर	0
5.	बालाघाट	2
6.	बरवानी	0
7.	बैतूल	0
8.	भिंड	0
9.	भोपाल	6
10.	बुरहानपुर	0
11.	छतरपुर	1
12.	छिंदवाड़ा	1
13.	दमोह	0
14.	दतिया	0
15.	देवास	1
16.	धार	0
17.	डिंडोरी	0
18.	गुना	0
19.	ग्वालियर	3
20.	हरदा	0
21.	होशंगाबाद	0
22.	इंदौर	14
23.	जबलपुर	2
24.	झाबुआ	0

25.	कटनी	0
26.	खंडवा(पूर्वी निमाड़)	0
27.	खरगोन (पश्चिम निमाड़)	0
28.	मंडला	0
29.	मन्दसौर	0
30.	मऊगंज	0
31.	मुरैना	1
32.	नरसिंहपुर	0
33.	नीमच	0
34.	निवाड़ी	0
35.	पन्ना	0
36.	रायसेन	0
37.	राजगढ़	0
38.	रतलाम	7
39.	रीवा	2
40.	सागर	0
41.	सतना	3
42.	सीहोर	0
43.	सिवनी	0
44.	शाहडोल	0
45.	शाजापुर	0
46.	श्योपुर	0
47.	शिवपुरी	0
48.	सीढी	0
49.	सिंगरौली	0
50.	टीकमगढ़	0
51.	उज्जैन	1
52.	उमरिया	0
53.	विदिशा	0
	कुल	44

*****